

(TO BE PUBLISHED IN PART I, SECTION 2 OF THE GAZETTE OF INDIA)

No. 7/3/2011-DRT
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, dated the 24th July, 2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K. Harinarayana as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Madurai, for a period of five years with effect from 6.7.2012 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.



(Rajiv Sharma)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager
Govt. of India Press,
Faridabad - 121001,
HARYANA. (with Hindi version)

Copy to:

1. Shri K. Harinarayana, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Madurai.
2. P.S. to Finance Minister /Minister of State (E & FS).
3. The Chairpersons, Debts Recovery Appellate Tribunals at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Allahabad.
4. The Presiding Officers of all Debts Recovery Tribunals.
5. The Managing Director, State Bank of Hyderabad, Head Office, Gunfoundry, Hyderabad - 500001.
6. The Chief Executives of all public sector banks.
7. The Establishment Officer, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
8. The Pay & Accounts Officer, Nagpur.
9. All Officers/ sections in the Department of Financial Services.
10. Guard File

35

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 7/3/2011-डीआरटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24th जुलाई, 2012

अधिसूचना

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के. हरिनारायण को 06 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।



(राजीव शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद-121001

हरियाणा।

प्रति प्रेषित:

1. श्री के. हरिनारायण, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै।
2. वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं) के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता और इलाहाबाद।
4. सभी ऋण वसूली अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी।
5. प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, प्रधान कार्यालय, गनफाउन्ड्री, हैदराबाद-500001.
6. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक।
7. स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, नागपुर।
9. वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
10. गार्ड फाइल।